न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

(225 आर.टी.एक्ट)

[अपी]ल संख्या:–35 / 2017
[आर]सी.एम.एस .संख्या:–2017 / 00008

उनवान

1. केसरलाल पुत्र पांचुराम उर्फ पांच्या जाति मीना पेशा काश्त निवासी ग्राम कोडयाई तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर राजस्थान। (फौत)
1 / 1. आत्माराम पुत्र केसरलाल
1 / 2. गिर्राज पुत्र केसरलाल
1 / 3. रघुनाथी पुत्री केसरलाल
1 / 4. मौसमी पुत्री केसरलाल
जातियान मीना निवासीयान ग्राम कोडयाई तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान ।.

––अपीलाण्ट / अप्रार्थीगण

बनाम

1. कल्याण प्रसाद पुत्र पांचुराम उर्फ पांच्या जाति मीना पेशा काश्त निवासी कोडयाई तहसील सवाई माधोपुर राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट / प्रार्थी

2. सरकार जरिये तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
3. श्रीमान प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा बौंली जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

––रेस्पोडेन्टस् / अप्रार्थी संख्या 2 व 3

उपस्थित:–

1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता अभिभाषक अपीलांट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 [illegible]
3. पैरोकार सरकार उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:43 IST
Reason: SelfAttested

[अ]पील प्राधिकारी
[सवा]ई माधोपुर

Scanned with CamScanner

--:: निर्णय ::--

दिनांक 21.11.2022

ह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ बौंली जिला सवाई माधोपुर में दायर जस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2016 बउनवान कल्याण प्रसाद बनाम केसरलाल वगैरहा में ारित निर्णय दिनांक 19.04.2017 के विरुद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

करण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/अप्रार्थी सं0 1 व रेस्पोडेन्ट सं0 1/प्रार्थी 0 1 सगे भाई है। विवादग्रस्त भूमि ग्राम कोडयाई में स्थित है जो संवत् 2055 से 2056 की ाबन्दी खाता सं0 990 के खसरा नम्बर 1030, 1624, व 1669 है जिनके नये खसरा म्बरान 3909, 3910, 3922 3926/8877, 5822, 5856 कुल रकबा 3.12 हैक्टेयर है। क्तसंपूर्ण आराजीयात का मूल खातेदारान किशन लाल व जगदीश पि0 श्रीराम नाबालिग रिए संरक्षक हरिराम पुत्र कोरेया मीना जाति मीना निवासी कोडयाई है जो अपीलांट व स्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा पिता स्व. पांचूराम की मौजूदगी में कय की गई थी। परन्तु दिनांक 20. 5.2017 को रजिस्ट्री केवल अपीलांट/अप्रार्थी सं0 1 के नाम करवा दी गई थी । इसी दौरान ड्डू लाल पुत्र पन्नालाल जाति मीना निवासी कोडयाई ने उक्त संपूर्ण भूमि का नामान्तकरण पने नाम खुलवा लिया जो कि कतई अवैधानिक था जिसको राजस्व मण्डल तक मुकदमा डकर उक्त भूमि को पुनः विक्रेतागण के नाम अमल करवाया गया। दिनांक 03.04.1987 से .06.2001 तक उक्त भूमि रिसीवर के कब्जे में रही जिसका कब्जा भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं01 ा कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त संपूर्ण आराजीयात अपीलाण्ट/अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रेस्पोडेन्ट सं0 1/प्रार्थी ने मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी ली के समक्ष वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वह स्वयं समस्त भूमि में से 1/2 हिस्से ा घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से अपीलाण्ट/अप्रार्थी 0 1 को रेस्पोडेन्ट सं0 1/प्रार्थी के खातेदारी के हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी एवं न बय करने से बाजव मुमतना रहे। मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी बौंली द्वारा योडेन्ट सं0 01/प्रार्थी का वाद पत्र स्वीकार कर दिनांक 19.04.17 को निर्णय पारित कि ीलांट/अप्रार्थी सं0 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा अन्यथा अन्य आदेश न आशय के लिए पाबन्द किया जाता है कि वह खसरा नम्बर 5856, 3910,3822, 26/8877 वाके ग्राम कोडयाई को रहन वय व अन्य किसी तरीके से मुन्तकिल नहीं करे। क्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी सं0 01 ने प्रस्तुत न्याय हाजा के समक्ष ा की है।

प्राधिकारी
ोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ज में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी बौंली ने दूसरे के नोटिस की विधिवत व समुचित रूप से तामील न होते हुये भी आदेश पारित कर । जबकि विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 1030, 1624 व 1629 कुल किता 3 कुल ा 12 बीघा 8 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 3909, 3910, 3922, 3926/2877, 5852, 5856 किता 6 कुल रकबा 3.12 है0 वाके ग्राम कोडयाई अपीलांट/अप्रार्थी सं0 1 की स्वअर्जित दारी एवमं कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर अपीलांट बहैसियत खातेदार काश्तकार ज होकर आज दिन तक काश्त करता आया है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्याण दे द्वारा अपने पक्ष में कोई दस्तावेज पेश न करते हुये भी मातहत अदालत उपखण्ड़ कारी बौंली ने विवादित भूमि मे खसरा नम्बर 5856, 3910, 3922, 3926/8877 वाके ग्राम याई पर कल्याणप्रसाद का कब्जा काश्त होना मानकर भारी कानूनी भूल की है। अतः लांण्ट की यह अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत उपखण्ड़ अधिकारी बौंली द्वारा श जैर अपील दिनांक 19.04.2017 अपास्त फरमाया जावे एवंम् रेस्पोडेन्ट सं0 1/प्रार्थी याण प्रसाद का टी0 आई0 प्रार्थना पत्र सं0 71/2016 अस्वीकार कर खारिज फरमाया ा।

पील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। ोडेन्टगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही बाबत् श दिया गया।

वक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि ानीय मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी बौंली ने अपीलांट पर नोटिस की विधिवत व चित रूप से तामील न होते हुये भी उसे समुचित तामील मानकर एकतरफा आदेश पारित या है। विवादित आराजीयात अपीलांट की पैतृक संपति न होकर स्वयं द्वारा अर्जित संपति जिसमें रेस्पोडेन्ट का कोई हिस्सा नही बनता है। रेस्पोडेन्ट ने मातहत अदालत में ऐसा ई सबूत साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजीयात में 1/2 सा रेस्पोडेन्ट के स्वामित्व का है। रजिस्टर विक्रय पत्र को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त ं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखंड अधिकारी के र्णय को अपास्त फरमाया जावें।

ारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया ... आराजीयात खसरा नम्बर 09, 3910, 3922, 3926/8877, 5822, 5856 कुल किता ... कुल रकबा 3.12 हैक्टेयर संवत् 69—72 वाके ग्राम कोडयाई तहसील बौंली ... मीना सा0 देह

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:43 IST
Reason: SelfAttested

ाधिकारी
पुर

Scanned with CamScanner

खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 1030, 1024, व 669 केसरलाल द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 20.06.72 द्वारा किशनलाल, जगदीश पेसरान श्रीराम मीना से क्रय की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णित करने हेतु कब्जा मुख्य आधार होता है। कब्जे से संबंधित कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इस तथ्य का निर्धारण अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बौंली में उभय पक्षकारान के साक्ष्यों से ही तय हो सकेगा। यद्यपि अपीलांट भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, परन्तु भूमि बाबत् घोषणा का वाद अभी सक्षम न्यायालय में लम्बित है। अपीलांट ने यह आपत्ति उठाई है कि वह विवादित आराजीयात के उसके हिस्से के अनुसार काबिज है परन्तु रिकार्डेड खातेदार नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रयोजन भूमि को किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण से बचाना भी है। हमारा मानना है कि जब परिवार के सदस्यों के बीच घोषणा का वाद लम्बित हो, तथा भूमि का हस्तान्तरण किए जाने का डर हो, तो भूमि हस्तान्तरण नही करने बाबत् खातेदार के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है।

इसी तथ्य का सिद्वान्त 2018(1) आर.आर.टी. 156 मे भी प्रतिपादित किया गया है–

अस्थाई निषेधाज्ञा–प्रार्थना पत्र खारिज किया–उच्च न्यायालय ने आदेश को अपास्त किया, और अन्तरिम आदेश स्वीकार किया–कृषि भूमि का वाद–वाद के निस्तारण तक यथावत् स्थिति रखने का आदेश युक्तियुक्त है–निर्णित आदेश न्यायोचित है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बौंली का निर्णय दिनांक 19.04.2017 अपास्त किया जाता है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बौंली में लम्बित मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मौके यथास्थिति बनाए रखने बाबत् आदेश दिए जाते है। पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 21.11.2022 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner